न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निगरानी कमांक /–तीन/2016

लक्ष्मीनारायण कोली पुत्र शिवराम कोली

ग्राम निजामपुर तहसील नरबर

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा
कलेक्टर जिला शिवपुरी

2– अनुविभागीय अधिकारी,करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश --असल अनावेदक

2– बक्शीसिंह पुत्र सब्बीरसिंह सिक्ख
ग्राम गड़ौली तहसील नरबर
जिला शिवपुरी ---तरतीवीं अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 – अनुविभागीय अधिकारी,करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्र0क0 11/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–1–2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ0उ0--2

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 881–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
15-3-16.	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–01–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक–2 तरतीवीं पक्षकार है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार नरबर ने प्रकरण कमांक 5/03–04 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2003 से आवेदक के हित में कृषि श्रमिक एंव भूमिहीन होने से ग्राम गढौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 222/2 में से रकबा 1.000 है0 का पटटा दिया था, तभी से आवेदक नहर से सिंचाई करते हुये भूमि पर खेती करता आ रहा है। तरतीवीं अनावेदक ग्राम का बड़ा कृषक होकर पंजाबी जाति का है एंव अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक के पटटे की भूमि जबरन कब्जा करना चाहता है उसके व्दारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 का प्रकरण भी तरतीवीं अनावेदक के विरूद्ध कमांक 61/13–14 अ–70 चला है जिसमें तरतीवीं अनावेदक ने तहसील न्यायालय के इस प्रकरण में लिखकर दिया है कि उक्तांकित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है इसके वाद भी उसने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष तहसीलदार नरबर ने प्रकरण कमांक 5/03–04 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2003 के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में अर्थात 11 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपील	

प्रस्तुत की एंव अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने बड़े कास्तकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का सर्वप्रथम निराकरण न करते हुये अंतिम आदेश में ही विलम्ब क्षमा करते हुये आदेश दिनांक 12-1-16 से अपील स्वीकार कर भूमि बंटन आदेश दिनांक 23-12-03 को निरस्त करने में भूल की है, जबकि तरतीवीं अनावेदक को भूमि बन्टन की 2003 से ही जानकारी थी क्योंकि तहसीलदार नरबर ने भूमि बन्टन के पूर्व ग्राम पंचायत से अभिमत लिया है तथा ग्राम में डोढ़ी पिटवाकर इस्तहार का प्रकाशन किया है भूमि का पटटा देने के वाद पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मौके पर सीमांकन करके पटटे की भूमि का कब्जा ग्रामीणों के समक्ष प्रदान किया है एंव खेत के चारों ओर मुडिडयॉ गड़वाई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक क-1 के पैनल लायर का तर्क है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत सुनवाई के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है उन्होंने यह भी बताया कि अनावेदक क-2 गॉव का वासिन्दा है उसे सुना चाहिये। उनके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनावेदक कमांक-2 ने तहसीलदार नरबर के भूमि बन्टन आदेश दिनांक 23-12-2003 के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में अर्थात 11 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत की है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में बताया है कि तहसीलदार ने गॉव में मुनादी पिटवाकर सूचना नहीं दी। दिनांक 18-6-14 को विवादित भूमि में अपीलांट अपने जानबर चरा रहा था तभी रिस्पा.क-1 लक्ष्मीनारायण मौके पर आया और विवादित भूमि अपने नाम

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 881–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

कराने की जानकारी दी। खसरा वर्ष 2008–2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर ग्राम गडौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 222/2 में से रकबा 1.000 है0 पर खसरे के कालम नंबर 3 की प्रविष्टि इस प्रकार है :–

" लक्ष्मीनाराण पत्र शिवराम जति कोली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरण "

कालम नंबर 12 में इस प्रकार अंकन है –

" सिंचाई नहर (शासकीय) से (यह जमीन सिंचित है) अहस्तांतरणीय "

कालम नंबर 5 में इस प्रकार अंकन है –

धान (रोपा)
गेहूँ विपुल

खसरा वर्ष 2011–2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर ग्राम गडौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 222/2 में से रकबा 1.000 है0 पर खसरे के कालम नंबर 5 की प्रविष्टि इस प्रकार है :–

आलू
गेहूँ

स्पष्ट है कि भूमि मौके पर पढ़त नहीं है अपितु शासकीय नहर से सिंचाई कर निरन्तर खेती की जा रही है। इसका आशय यह हुआ कि अनावेदक क–2 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 में मौके पर भूमि पड़त होना एंव पशुओं को चराने का तथ्य गलत बताया है और ऐसे असत्य विवरण पर विश्वास करके अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने जानबूझकर आवेदक के हित में विधिवत् आवंटित की गई भूमि के पटटे को निरस्त करने में भूल की है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने आवेदक एंव अनावेदक

क–2 के बीच तहसीलदार न्यायालय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 250 के अंतर्गत प्रचलित वाद कमांक 61/13–14 अ–70 में पारित आदेश दिनांक 23–3–15 से अनावेदक क–2 व्दारा आवेदक के पटटे की भूमि पर किये गये जबरन कब्जे की ओर ध्यान आकर्षित कराया उन्होंने इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क–2 व्दारा राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत निगरानी कमांक 663–तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 1–10–15 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। इस आदेश के पद 5 में इस प्रकार अंकन है :–

" प्रतिपरीक्षण के पूर्व ही दिनांक 13–5–15 को आवेदक ने आवेदन दिया कि वर्तमान में उसका कोई कब्जा अनावेदक की भूमि पर नहीं है । पटवारी ने भी रिपोर्ट किया कि अनावेदक की भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भूमिस्वामी को कब्जा सौंप दिया है अब कब्जे का कोई विवाद नहीं है। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक क–2 आवेदक के पटटे की भूमि पर छल–बल से अवैध कब्जा बनाये रखने की तरकीवें लगाता रहा है और इसी उद्वेश्य से उसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील करके अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि का पटटा निरस्त कराया है और इन तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–01–2016 के अवलोकन से पाया गया अनावेदक क–2 ने तहसीलदार नरबर के भूमि बन्टन आदेश दिनांक 23–12–2003 के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में अर्थात 11 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 881–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 पर अपील प्रस्तुत होने के दिन से अंतिम आदेश दिनांक 12–1–2016 तक निर्णय नहीं दिया तथा अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर अंतिम आदेश दिनांक 12–1–16 में संक्षिप्त टीप देते हुये आवेदक के हित में हुआ भूमि बन्टन निरस्त किया है।

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47– न्यायालय व्दारा सर्वप्रथम विलम्ब क्षम्य किये जाने के आवेदन पत्र का विनिश्चय किया जावे। उसके पूर्व अपील की सुनवाई गुण–दोष पर नहीं की जा सकती। (भानमति विरूद्ध कलुआ 1984 रा.नि. 34 से अनुसरित)

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त से हटकर नियम व प्रक्रिया की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–1–16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ अनावेदक क–2 ने तहसीलदार के भूमि बन्टन आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 11 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत की है। विचार योग्य है कि भूमि बन्टन आदेश के विरूद्ध अपील कौन कर सकता है?
ऐसा भूमिहीन व्यक्ति , जिसका भूमि बन्टन हेतु बन्टन अधिकारी के समक्ष आवेदन लम्बित रहा हो एंव भूमि बंटन हेतु पात्र होते हुये भी अन्य अपात्र को भूमि बंटित की गई हो। अनावेदक क–2 के परिवार व्दारा धारित भूमि का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

परिजन का नाम	ग्राम जहां भूमि है	स0क्र0	रकबा है.
जगदीप पुत्र वक्शीससिंह	गढ़ौली	589	0.110
,,	,,	590	0.300
,,	,,	592	0.450
,,	,,	336/5	1.000
,, हिस्सा 1/2	,,	609	1.800
,, ,,	,,	610	2.180

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब अनावेदक का परिवार भूमिहीन नहीं है एंव तहसीलदार के समक्ष उसने भूमि बन्टन हेतु आवेदन भी नहीं दिया है उसे भूमि बन्टन की पात्रता नहीं है तब वह अपील करने का भी पात्र नहीं है ऐसी स्थिति में 11 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपात्र व्यक्ति की अपील को ग्राह्य कर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार व्दारा विधिवत् भूमिहीन अनुसूचित जाति संवर्ग के पात्र व्यक्ति के हित में किये गये भूमि बन्टन को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–01–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक के हित में वर्ष 2003 में भूमि आवंटित हो जाने पर स्वत्व प्राप्ति उपरांत परिश्रम करके एंव धन व्यय करके उसने उबड़–खाबड़ भूमि को समतल करके चारों ओर मेढ़ बन्धान बना लिये तथा निवास हेतु मकान निर्माण कर रहने लगा है। आवेदक अनुसूचित जाति का है यदि उससे भूमि वापिस ले ली जाती है उसे धनहानि होने के साथ परिवार के पालन–पोषण में व्यवधान उत्पन्न हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय।

1. इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 881–तीन/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	1. के कारण भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। 2. शॅकरलाल वर्मा विरूद्ध म0प्र0राज्य 1984 रा0नि0128 का न्यायिक दृष्टांत है जब तक कि समुचित क्षति सिद्ध नहीं की जाती है, पटटेदार व्दारा भूमि को सुधारने और कुऑ निर्माण करने में अत्यधिक राशि व्यय की गई। सामान्यतः ऐसे आबन्टन को रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है। 9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 11/2014–15 अपील में पारित आदेश दि. 12–01–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । फलतः तहसीलदार नरबर द्वारा प्रकरण कमांक 5/03–04 अ–19 में पारित आदेश दि. 23–12–2003 स्थिर रहता है। सदस्य	